



**न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)**  
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES  
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department  
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

30/भा0नि0वृ0

दिनांक-08 जनवरी 2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार  
राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
जमुई।

**विषय :-**

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय का आयोजन (मार्गदर्शिका सहित) के सम्बन्ध में।

**प्रसंग :-**

इस कार्यालय का पत्र सं0-15/आ0नि0को0 दि0-06.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

विगत वर्ष-2018-19 में मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सौतामढ़ी एवं सिवान में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में राज्य आयुक्त निःशक्तता ने पुनः बिहार के सभी जिलों में जिला स्तर पर एक-एक चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक करने का निर्णय लिया, जिसके आलोक में नवादा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बक्सर, कैमूर (अभआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी, गोपालगंज, मधुपुरा, मधुबनी, अरवल, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, अररिया एवं शेखपुरा में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0को0 दि0-01.11.2019 एवं 581/आ0नि0को0 दि0-28.02.2020 जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह के गठन का निर्देश-सह-मार्गदर्शिका दिया गया है, को संदर्भ देते हुए उल्लेख करना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आगे से अधिनियम, 2016) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त अधिनियम है। अधिनियम, 2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तर दिव्यांगता समिति के गठन का प्रावधान है तथा इससे संबद्ध बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 (आगे से नियमावली, 2017) के अध्याय-VIII, कड़िका-22 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत प्रावधानित जिला स्तरीय समिति के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दिनांक-25.04.2020 को राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत तथा अग्रतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान विविध शिकायतों की सुनवाई की गई एवं मामलों के विषय में सम्बन्धित प्रशासनिक/पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये।

अग्रतर कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण की स्थिति में कुछ सुधार होने पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 के सम्बन्ध में उपरी वर्णित कार्यक्रम अनुरूप बौद्ध अनुमण्डल एवं अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों, हिलसा अनुमण्डल एवं अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों, जिला-समस्तीपुर के शाहपुर पटौरी प्रखण्ड, समस्तीपुर सदर, पुपरी एवं बेलसंड अनुमण्डल, बाका जिला एवं बाका अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों, बक्सर के डुमराव अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों, गया जिला तथा गया सदर अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों में गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व विधानसभा चुनाव-2020 के दौरान दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने का कार्य किया जा चुका है।

कृपया

उक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि0-27.01.2021, 28.01.2021 एवं 29.01.2021 को जमुई जिला में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में चलन्त न्यायालय का आयोजन किया जाना है, जिससे सम्बन्धित कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

**राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी**

क्र० सं०	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	भागीदारी	नोडल पदाधिकारी	
1.	27/01/2021	07:00 AM बजे पटना से जमुई के लिए प्रस्थान।	सड़क मार्ग (NH) से यात्रा पटना से जमुई के लिए प्रस्थान।	12:00 PM बजे जमुई जिला आगमन।	---	---	
		01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- (1) उप विकास आयुक्त (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (3) उप समाहर्ता, प्रभारी बैंकिंग (4) उप पुलिस अधीक्षक (5) अपर समाहर्ता (6) अनुमण्डल पदाधिकारी (7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (8) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदा० (9) अम अधीक्षक (10) उप समाहर्ता, जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकरण (11) जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी (12) जिला पशुपालन पदाधिकारी (13) डी०आर०डी०ए० (14) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (15) जिला नियोजन पदाधिकारी (16) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल (17) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) (18) जिला कल्याण पदाधिकारी (19) जिला शिक्षा पदाधिकारी (20) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (21) जिला आपूर्ति पदाधिकारी (22) जिला परिवहन पदाधिकारी (23) जिला अभियंता, जिला परिषद (24) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (25) जिला कृषि पदाधिकारी (26) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी (27) जिला खेल-कूद पदाधिकारी (28) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनु०लो०शि० निवा० पदा० (29) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (30) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (31) निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (32) कारा अधीक्षक (33) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (34) भूमि सुधार उप समाहर्ता (35) जिला पंचायती राज पदाधिकारी (36) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (37) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक (38) जिला प्रबंधक, "जीविका" (39) जिला प्रबंधक "बनियार्थ केन्द्र" (40) जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र (Banking-CSP) (41) जिला हेड, बसुधा केन्द्र (Comman Service Centre-CSC) (42) जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) (43) जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास	जिला सभागार	उप विकास आयुक्त/ अपर जिलाधिकारी		
		02:30 PM बजे से भोजनावकाश					
		02:30 PM बजे से 03:30 PM बजे तक	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्ता (एल०डी०एम० बैंकिंग) (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक	समाहरणालय सभागार	उप समाहर्ता, प्रभारी (एल०डी०एम० बैंकिंग)		
03:30 PM बजे से 04:30 PM बजे तक	असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी०एच०सी० स्तर के क्लर्क/सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल	एस०डी०सी० (स्वास्थ्य सेवा)/असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी				

*gauri*

2.		11:00 PM बजे से 01:00 PM बजे तक	जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाइजरों के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका।	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर		जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0 एस0)
	28/01/2021	02:00 PM से 03:30 PM बजे तक	जमुई अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : जमुई, सिकन्दरा, खैरा, चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर, झाड़ा, बरहाट, गिदौर एवं इस्लामनगर अलीगंज में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक	अनुमण्डल/ बुनियाद केन्द्र सभाकक्ष		अनुमण्डल पदाधिकारी
		04:00 PM से 05:30 PM बजे	जमुई अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु अनुमण्डल/प्रखण्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक	पंचायत/ प्रखण्ड	पंचायत/प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
3.	29/01/2021	10:00 AM से 03:00 PM बजे तक	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : जमुई, सिकन्दरा, खैरा, चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर, झाड़ा, बरहाट, गिदौर एवं इस्लामनगर अलीगंज में दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन	अपने-अपने प्रखण्ड परिसर		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सी0डी0पी0ओ0

समीक्षात्मक बैठक में निम्न विभागों/कार्यालयों/निदेशालयों के पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने हेतु निदेश देने की कृपा की जाए।

1. **उप विकास आयुक्त:-**इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराएँ।
2. **अपर समाहर्ता:-**निःशक्तजनों को की गई भूमि बन्दोवस्ती/वितरण लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
3. सभी "अनुमण्डल पदाधिकारी" अपने अनुमण्डल के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी किये गये हैं एवं आयोजित चलन्त न्यायालय में समीक्षा बैठक एवं दिव्यांगजनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई के अभिलेख के साथ (तीन वर्षों) निश्चित रूप से उक्त न्यायालय में उपस्थित हो तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
4. **असैनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी:-**अपने साथ डी0पी0एम0 (राज्य स्वास्थ्य समिति), जिला अस्पताल पबंधक एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण इंचार्ज को भी उपस्थित रहने हेतु निदेशित किया जाय।  
(क) विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराये।  
(ख) समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखण्ड कार्यालय में निःशक्तजनों को आवश्यकतानुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में चलन्त मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित कराएँगे।  
(ग) सदर अस्पताल का निरीक्षण - निःशक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का सदर अस्पताल में आयुक्त महोदय का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।  
(ग) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।  
(घ) सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कराएँगे।
5. **उप पुलिस अधीक्षक:-**विगत तीन वर्षों तक का दिव्यांगजन को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से सम्बन्धित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
6. **श्रम अधीक्षक:-**जिले में अवस्थित कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
7. **उप समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन/प्राधिकरण:-**जिले में आपदा के समय दिव्यांगजनों को क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा कितने दिव्यांगजनों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत प्रदान की गई है, से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
8. **जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी:-** विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
9. **जिला पशुपालन पदाधिकारी:-**विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
10. **डी0आर0डी0ए0:-**विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

कृ०पृ०३०.....

11. **जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी :-**  
जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, उनमें दिव्यांगों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
12. **जिला नियोजन पदाधिकारी :-**  
जिले में बेरोजगारों द्वारा जो इनराल्मेन्ट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है तथा कितने को रोजगार मुहैया कराया गया है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
13. **कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/पथ निर्माण :-**  
(क) रैम्प निर्माण, लिफ्ट, टायलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।  
(ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free environment) आदि।  
सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट, टायलेट एवं आवश्यक प्रावधान से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।  
(ग) सड़को पर जेब्रा क्रॉसिंग चिन्हित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।
14. **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्वशिक्षा अभियान):-**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची प्रखण्डवार एवं सभी कार्यरत संसाधन शिक्षकों का लिस्ट एवं स्कूलवार दिव्यांगजनों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। साथ ही जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में अनुमण्डल एवं जिला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए मॉडल समावेशी शिक्षा की सूची, स्कूल का नाम, कार्यरत शिक्षक व विशेष शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक उपलब्ध संसाधनों की सूची भी उपलब्ध करायेँ।
15. **जिला कल्याण पदाधिकारी:-**प्रखण्डवार विकलांग छात्रवृत्ति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
16. **जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक :-**  
(क) शिक्षक नियुक्ति में निःशक्त अभ्यर्थियों की प्रखण्डवार रिक्ति एवं नियुक्ति; स्कूल भवनों में रैम्प, छात्रवृत्ति, नामांकन संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।  
(ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विद्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा/निःशुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना/निःशक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता/वृत्तिका युक्त प्रशिक्षण/नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन/सभी शिक्षण संस्थाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।  
(ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची।  
(घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।
17. **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :-**  
(क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, अनियोजन भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में निःशक्तजनों की स्थिति, UDID Card से लाभान्वित निःशक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एवं एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विद्यालय, बालगृहों/आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।
18. **जिला आपूर्ति पदाधिकारी :-**  
(क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण बिक्रेताओं की संख्या में निःशक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।  
(ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित निःशक्तजनों की संख्या।
19. **जिला परिवहन पदाधिकारी:-**परिवहन के मामले में निःशक्तजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी गई है एवं भविष्य में क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। (एम0भी0आई0 को भी मीटिंग में साथ लायेँ)
20. **जिला अभियंता, जिला परिषद:-**आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ एवं जिले में दिव्यांगजन के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना।
21. **जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी:-**निःशक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ।

22. **जिला कृषि पदाधिकारी:-**जिले में खाद्य, विज आदि वितरण में दिव्यांगजनों के भागीदारी के सम्बन्ध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
23. **जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी :-** दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
24. **जिला खेल-कूद पदाधिकारी:-**जिला में दिव्यांगों के खेल-कूद से सम्बन्धित आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
25. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी :-** पिछले दो वर्षों में दिव्यांगों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
26. **नगर/परिषद कार्यालय:-**नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि एक नोडल पदाधिकारी को नामित कर समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया जाए एवं तीन वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ एवं जिले में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराएँ।
27. **जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण:-**पिछले तीन वर्षों में दिव्यांगों से सम्बन्धित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
28. **जिला ग्रामीण विकास :-** पिछले तीन वर्षों में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
29. **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस):-**पिछले तीन वर्षों में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी0डी0पी0ओ0) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएँ।
30. **जिला विधिक सेवा प्रधिकार:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन दिनों का समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा भोलिन्टयर की सूची भी उपलब्ध कराई जाए तथा पिछले तीन वर्षों में दिव्यांगों के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन दिया जाए।
31. **कारा अधीक्षक:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन कारा गृह में बन्द दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
32. **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
33. **जिला भूमि सुधार उपसमाहर्ता पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
34. **प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक :-** आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
35. **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए। बाल गृह/आश्रय गृहों में रह रहे दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध कराएँ।
36. **जिला पंचायती राज पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
37. **सभी "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी" अपने प्रखण्ड के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी आप नामित किये गये हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रखण्ड स्तर पर दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराएँ तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।**
38. **जिला प्रबंधक "जीविका":-**जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
39. **जिला प्रबंधक "बुनियाद":-** जिला में बुनियाद द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
40. **जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र (Banking-CSP):-**आपके द्वारा जिले में अबतक कितने दिव्यांगता प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों का डाटा UDID पोर्टल पर Online भरा गया है तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा UDID कार्ड हेतु Online आवेदन भरा गया है, से सम्बन्धित सूची उपलब्ध कराएँ।
41. **जिला हेड, बसुधा केन्द्र (Comman Service Centre-CSC):-**जिला में बसुधा केन्द्र द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

42. जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना):-जिला में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
43. जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास:-जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

### प्रथम दिन

27/01/2021	01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	जमुई	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
	02:30 PM बजे से 03:30 PM बजे तक		लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक
	03:30 PM बजे से 04:30 PM बजे तक		असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी0एच0सी0 स्तर के क्लर्क/सहायक के साथ बैठक।

### द्वितीय दिन

28/01/2021	10:00 AM बजे से 12:00 PM बजे तक	जमुई	जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाइजर्स के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका।
	02:00 PM बजे से 03:30 PM बजे तक		जमुई अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक
	04:00 PM बजे से 05:30 PM बजे तक		जमुई अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु अनुमण्डल/प्रखण्ड पदाधिकारियों के साथ बैठक

### तृतीय दिन

29/01/2021	10:00 AM से 03:00 PM बजे तक	जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : जमुई, सिकन्दरा, खैरा, चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर, झाड़ा, बरहाट, गिद्धौर एवं इस्लामनगर अलीगंज में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन
------------	-----------------------------	--------------------------------------	--

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के दौरान ही निष्पादन किया जाएगा एवं आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे। चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) हेतु सरकारी बाधामुक्त स्थल (यथा आवश्यकता रैम्प इत्यादि युक्त) ऑडिटोरियम, स्कूल कॉलेज, सामुदायिक भवन के निर्धारण के साथ जिला प्रशासन द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की जानी हैं :-

- (1) इंडोर हॉल (बाधारहित रैम्प एवं टॉयलेट) हवादार एवं प्रकाशयुक्त हॉल
- (2) विज्ञापन व प्रचार सामग्री का प्रकाशन
- (3) आवेदन प्रपत्र तथा हैंडआउटस की प्रिंटिंग तथा वितरण
- (4) स्थल (Venue) पर आवश्यक फर्नीचर (इण्डोक हॉल)
- (5) स्थल पर चार कम्प्यूटर (प्रिंटर के साथ)
- (6) बैनरों की व्यवस्था 8x10, 8x6 तथा 6x4 आकार के - चलन्त न्यायालय (Mobile Court)
- (7) स्थानीय गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा दिव्यांगों से जुड़े संस्थानों के 10 से 15 व्यक्ति शिकायतों के सम्बन्ध में सलाह/सहायता के सम्बन्ध में।
- (8) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
- (9) अत्यधिक गर्मी की स्थिति में इससे बचाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था
- (10) फोटोग्राफी
- (11) परिवहन, दो दर्जन व्हील चेयर की व्यवस्था
- (12) सुविधा प्रदायकों के लिए मध्याह्न भोजन, चाय-पानी इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाय।
- (13) दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं अन्य परिवादों के निष्पादन हेतु सभी विभागों का एक-एक कॉम्प्यूटर लगाने की व्यवस्था एवं साथ ही साथ विभाग के एक नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था।
- (14) फोटोकॉपीयर मशीन, एक दर्जन स्टेपलर्स, स्याही स्टाम्प पैड-एक दर्जन, एक हजार सादा कागज प्रिंटिंग हेतु एवं आधा दर्जन गॉद (फेवी स्टीक सहित) का डब्बा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

**नोट :- चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन से सम्बन्धित खर्च का वहन संबंधित जिला स्तर से किया जाना है।**

2. उक्त के आलोक में कहना है कि आपके विभाग/कार्यालय एवं निदेशालय में दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त नोडल पदाधिकारी को दिनांक-29/01/2021 को जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में प्रतिवेदन के साथ तत्समय भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

3. कृपया चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) स्थल पर चार आशुलिपिकों (डिक्टेशन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) तथा कम-से-कम तीन अनुसेवकों की जिला प्रशासन कार्यालयों द्वारा किए जाने का अनुरोध है।

4. प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत वर्णित कार्यालयों के सरकारी पदाधिकारी को कृपया चलन्त न्यायालय के दौरान भी उपस्थित रहने की सलाह दी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करने की कृपा की जाए कि प्रत्येक कार्यालय से कम से कम प्रतिनिधि कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने हेतु उपलब्ध है।

5. दिव्यांगजनों के दिव्यांगता निर्धारण तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन कार्य हेतु आवश्यक चिकित्सा पदाधिकारियों की व्यवस्था की जाए। मनोचिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक अपना एक मनोचिकित्सक भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन पैनल में शामिल होने चाहिए।

6. इस कार्यक्रम को विविध संचार माध्यमों/कार्यालयों यथा जिला सम्पर्क कार्यालयों/प्रखण्ड विकास कार्यालयों/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/समाचार पत्रों/पैम्पलेटों/स्थानीय टेलीविजन माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

7. उक्त आयोजन के दौरान कोविड19 (COVID-19) का संक्रमण रोकने के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निदेशित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

अतः जिला पदाधिकारी, जमुई से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा (स्काट एवं अंगरक्षक) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। उक्त कार्यक्रम के दौरान दिनांक-27.01.2021 से 28.01.2021 तक राज्य आयुक्त निःशक्तता के रात्रि विश्राम के लिए जमुई जिला के परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने हेतु भी अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0प्रौ  
प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0प्रौ  
प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0प्रौ  
प्रतिलिपि:-निदेशक, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग (बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से को-ऑर्डिनेटर नामित करने की कृपा करें।


दिनांक-08 जनवरी 2021  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0प्रौ  
प्रतिलिपि:-सी0ई0ओ0-सह-राज्य मिशन निदेशक, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जीविका), विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से को-ऑर्डिनेटर नामित करने की कृपा करें।

दिनांक-08 जनवरी 2021  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-जमुई अनुमण्डल के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के लिए स्काट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक-29.01.2021 को जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में चलन्त न्यायालय के दिन पर्याप्त मात्रा में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाए।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक-29.01.2021 को दिव्यांगजनों हेतु आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में अपने स्तर से जिला के PLV (न्यायमित्र) की Volunteers सेवा प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि कार्यों के निष्पादन में सहायता मिल सके।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को दिनांक-29.01.2021 को जमुई अनुमण्डल के विविध प्रखण्डों में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-अनुमण्डलाधिकारी, जमुई अनुमण्डल अन्तर्गत विविध प्रखण्डों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य आयुक्त नि:शक्तता के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।


जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, जमुई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने एवं चलन्त न्यायालय का आयोजन के सफल कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 30/आ0नि0श्री0  
 प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक-08 जनवरी 2021

  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।